लैंगिक न्याय

डॉ सुभाष शर्मा

बीसवीं सदी के मध्य में जब फ्रांस की सामाजिक दार्शनिक सिमोन द बउआ (1908-1986) ने अपनी महान रचना 'सेकंड सेक्स' (1949) लिखी तो उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से कमोबेश पूरी दुनिया में महिला के दोयम दर्ज़े के विषय में विस्तार से लिखा : ''महिला जन्म नहीं लेती बल्कि गढ़ी जाती है।'' इस प्रकार सामाजिक रीतियों, मान्यताओं, संस्थागत व्यवहार के कानूनों, प्रतिबंधों आदि के कारण समय के साथ 'सेक्स' (गुणसूत्रों, यौनांगों आदि के लिहाज़ से पुरुष एवं महिला के बीच जैविक भेद) प्राथमिक (परिवार, साथी, समुदाय) एवं द्वितीयक (स्कूल, कॉलेज, क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, कार्यालय, खेल आदि) समाजीकरण के कारण 'जेंडर' अर्थात 'लिंग' (सामाजिक-सांस्कृतिक धारणा) में बदल गया।

भारत में महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में अपने लेखों में यह मुद्दा उठाया और बाद में अपनी पुस्तक 'शृंखला की कड़ियां' (1942) में प्रकाशित किया। उन्होंने भारतीय परंपराओं में व्याप्त विरोधाभासों की बात की, जहां एक ओर स्त्री की पूजा की जाती है और दूसरी ओर वह घर में बंदी के समान (शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, स्वच्छता एवं सफाई, खेल आदि के अधिकारों के बगैर सभी मामलों में पुरुष से नीचे) जीवन बिताती है। उन्हें भारतीय समाज में दो प्रकार की स्त्रियां दिखीं - पहली वे, जिन्हें यह बोध ही नहीं है कि वे स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली मनुष्य हैं; दूसरी वे, जो पुरुष की बराबरी करने के लिए संसार को उनके ही दृष्टिकोण से देखती हैं। इस प्रकार महिलाओं ने अपना व्यक्तित्व एवं अपना सामाजिक अस्तित्व स्वयं ही घटा लिया। महात्मा गांधी महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में लाए और पुरुषों को उनकी शोषक रीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

हालिया न्यायिक आदेश

अ. एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्ज़ा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एयर इंडिया ने महिला कर्मचारियों (विमान परिचारिकाओं) पर भेदभाव करने वाले तीन प्रतिबंध लगा दिए : (1) उन्हें नौकरी आरंभ करने के चार वर्ष के भीतर विवाह करने की अनुमति नहीं थी; (2) पहली बार गर्भधारण करते ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था; और (3) विमान परिचारिका के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र केवल 35 वर्ष थी, जिसे उनके प्रबंध निदेशक की इच्छा पर 45 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था, जबकि अन्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 55 या 58 वर्ष थी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों की कठिनाइयों को देखते हुए पहली शर्त बरकरार रखी किंतु बाकी दोनों को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताते हुए ख़त्म कर दिया।

ब. भारतीय विदेश सेवा के नियमों के अनुसार महिला अधिकारी को विवाह से पूर्व सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था और विवाहित महिलाओं को भारतीय विदेश सेवा में नहीं आने दिया जाता था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीधे ख़ारिज कर दिया।

स. जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय (दीपक मिश्र, एएम खानविलकर, आरएफ नरीमन, डीवाई चंद्रचूड़ एवं इंदु मल्होत्रा) ने 2018 में फ़ैसला दिया कि ''महिलाओं के अधिकारों की वास्तविक जगह व्यक्तिगत गरिमा भरे घर के भीतर है किसी मुख्य इमारत के गलियारे या कोने में नहीं... महिलाओं के साथ अपमानजनक, अन्यायपूर्ण और असमानता अथवा भेदभाव करना संविधान के कोप को न्योता देना है... और यह कहने का समय आ गया है कि पति मालिक नहीं होता है।'' न्यायालय ने सरकार को अपराधों के अपराधीकरण में न्यूनतम हस्तक्षेप का दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया क्योंकि व्यक्तियों की निजी पसंद होती हैं : ''गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के अधिकार की सामाजिक निंदा नहीं होनी चाहिए और न ही राज्य द्वारा उसे दंडित किया जाना चाहिए।'' इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार के लिए दंड) को अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि धारा 497 महिलाओं की भूमिका को घिसी-पिटी लैंगिक छवि के चश्मे से देखती थी।

द. शायरा बानो बनाम भारत सरकार एवं अन्य, मुस्लिम विमेन्स क्वेस्ट फॉर इक्वैलिटी बनाम जमीअत उलेमा-इ-हिंद, आरफ़ीन रहमान बनाम भारत सरकार एवं अन्य, गुलशन परवीन बनाम भारत सरकार एवं अन्य, इशरत जहां बनाम भारत सरकार एवं अन्य और अतिया साबरी बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय (जे. एस. खेहर की अध्यक्षता में) ने बहुमत के साथ तलाक़-ए-बिद्दत

लेखक 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और अंग्रेजी एवं हिंदी में समान अधिकार के साथ लिखते हैं। ईमेल: sush84br@yahoo.com

(तीन तलाक) को असंवैधानिक एवं पक्षपातपूर्ण (समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला) घोषित किया और मुस्लिम पतियों को तीन बार तलाक बोलने से रोक दिया तथा सरकार को छह महीने के भीतर इस विषय पर कानून बनाने का निर्देश दिया। यह भारत की उन मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय था, जो सदियों से इस कुप्रथा से पीड़ित थीं, जबकि अधिकतर मुस्लिम देश पहले ही तीन तलाक खत्म कर चुके थे।

पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-20) में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निम्न कारकों की बात की गई है:

1. भौतिक संपत्तियों - मोबाइल फोन, बैंक खाते, जमीन एवं मकान का स्वामित्व;
2. माहवारी के दौरान स्वच्छता वाले उत्पादों (सैनिटरी नैपकिन आदि) की उपलब्धता;
3. घर के फ़ैसलों (अपनी सेहत की बात, घर के लिए सामान की खरीदारी, परिवार या रिश्तेदारों के पास जाना) में हिस्सेदारी;
4. रोज़गार की स्थिति;
5. पुरुष के द्वारा हिंसा;
6. 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह; और
7. 10 वर्ष से अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त करना

किंतु सतत विकास के लक्ष्यों में (अ) घर के काम या अवैतनिक काम में खर्च किए गए समय; (ब) प्रजनन स्वास्थ्य पर निर्णय; और (स) लड़कियों की सुन्नत को भी ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-20) के अनुसार उपरोक्त क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की प्रगति इस प्रकार है:

1. दस वर्ष से अधिक समय तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2015 से 2020 के बीच 5.5 प्रतिशत बढ़ गई और इस मामले में पुरुषों के साथ अंतर 2015-2020 के 11.5 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गया।
2. जन्म के समय लिंगानुपात 2020 में बढ़कर 942 हो गया, हालांकि सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक 1000 लड़कों पर 954 लड़कियों का अनुपात हासिल करना है किंतु लिंग निर्धारण परीक्षणों के कारण शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 928 (ग्रामीण क्षेत्रों में 947) है।
3. स्वच्छता भरे तौर-तरीके इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत (2015-2020) हो गई।
4. प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण महिलाओं के बैंक खातों की संख्या 28 प्रतिशत (2015-2020) बढ़ गई।
5. महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने का आंकड़ा 10 प्रतिशत (2015-2020) बढ़ गया।
6. नौकरी करने वाली तथा पारिश्रमिक पाने वाली विवाहित महिलाओं की हिस्सेदारी 2015 से 2020 के दौरान 2 प्रतिशत बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई।
7. घर के लिए निर्णय लेने में हिस्सेदारी मामूली बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई।
8. 22 में से 11 राज्यों में महिलाओं के स्वामित्व वाली ढकी हुई भूमि अथवा मकानों की हिस्सेदारी 2020 में घट गई।
9. 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत (2015 और 2020 दोनों में) रही।
10. घरेलू हिंसा - तीन में से एक महिला के साथ उसके पति ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा की मगर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आंकड़ा बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया।
11. परिवार नियोजन के तरीके इस्तेमाल करने में बढ़ोतरी हुई मगर इसका जिम्मा अब भी मोटे तौर पर महिलाओं के ऊपर ही है - गर्भ निरोधक के कुल प्रयोग में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी अब भी महिला नसबंदी की है। हिमाचल प्रदेश में गर्भ निरोध का सबसे अधिक प्रयोग हुआ। गर्भधारण की इच्छा नहीं होने के बाद भी गर्भनिरोधकों का प्रयोग न करने की घटनाएं मेघालय एवं मिज़ोरम के अलावा अधिकतर राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम रह गईं।
12. नीतिगत, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों के जटिल घालमेल के कारण रुझान पहले से बिगड़ गए।
13. महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट का हिस्सा 2009 से ही लगभग 5.5 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है और उसमें से 30 प्रतिशत से भी कम को 100 प्रतिशत महिला केंद्रित योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।
14. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट से महिला सशक्तीकरण पर खर्च 2018-19 के 640 करोड़ रुपये से घटकर 2019-20 में 310 करोड़ रुपये ही रह गया।
15. नाबालिग विवाह में सज़ा की कम दर - 2018 में यह दर केवल 23.8 प्रतिशत थी और 84 प्रतिशत मामले अदालतों में लंबित थे। त्रिपुरा में बाल विवाह के मामले 2015 से 2020 के बीच 33 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गए, मणिपुर में 13.7 प्रतिशत से बढ़कर 16.3 प्रतिशत और असम में 30.8 प्रतिशत से बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गए।

सतत विकास के तीसरे लक्ष्यों में नवजातों एवं 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की मौतें 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए कहा गया है, जिन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही एनएमआर को 12 प्रति 1000 नवजात एवं 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर को 25 प्रति 1000 पर लाने का लक्ष्य है। भारत में शिशु मृत्यु दर 32 (ग्रामीण क्षेत्र में 36 और शहरों में 23) है, जो विकसित देशों की दरों से अधिक है।

16. उम्र के हिसाब से बच्चों का कद कम बढ़ने यानी बौनेपन की घटनाएं 11 राज्यों में बढ़ गईं; 14 राज्यों में कद के हिसाब से बच्चों का वज़न कम रहने की घटनाएं बढ़ीं; त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर एवं अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में जन्म के चार सप्ताह के भीतर मृत्यु की दर (एनएमआर), नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) और 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर बढ़ गई; सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार में एनएमआर (34ऋ, आईएमआर (47) तथा 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर (56) सबसे अधिक रही। केरल में सामाजिक क्षेत्र का आवंटन बेहतर होने के कारण ये दरें सबसे कम रहीं और कई विकसित देशों के समान रहीं।
17. सतत विकास के तीसरे लक्ष्यों में नवजातों एवं 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों

तालिका 1 : क्षमता विस्तार के ज़रिये सर्वांगीण सशक्तीकरण के आयाम

क्रम	आयाम/क्षमता	कम क्षमता	मध्यम क्षमता	उच्च क्षमता
1.	चुप्पी बनाम बोलना	व्यक्तिगत रूप से बोलना	सामूहिक रूप से बोलना	सामूहिक रूप से और बलपूर्वक बोलना
2.	चर्चा एवं काम के लिए आवाजाही	गांव के भीतर	गांव के बाहर जिला स्तर तक	राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर
3.	उद्देश्य	जागरूकता निर्माण	सरकारी कार्यक्रमों के लाभ पाने के लिए	सहभागिता मांगना और करना
4.	बदलाव का विचार	मामूली बदलाव (सूक्ष्म वित्त आदि के ज़रिये) का हल्का विचार	सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों से लाभ लेकर बदलाव आने का हल्का विचार	योजनाओं में संशोधन कर या आवश्यकता के अनुसार नई योजनाएं लाकर कायाकल्प करना
5.	बदलाव की बात	'ऊपर से' बदलाव की बात सुनना	'ऊपर से' बदलाव की बात सुनना और उस पर प्रतिक्रिया देना मगर संशोधन सुझाना	'नीचे से' (नीचे से ऊपर) बदलाव की अपनी बात सक्रियता से कहना
6.	सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोग	सूक्ष्म (स्थानीय) सार्वजनिक क्षेत्र	मध्य का सार्वजनिक क्षेत्र	वृहद सार्वजनिक क्षेत्र
7.	विकास-सशक्तीकरण समन्वय	विकास का अधिक, सशक्तीकरण का बहुत कम विचार	विकास के लिए अधिक, सशक्तीकरण के लिए कम	विकास एवं सशक्तीकरण के बीच तालमेल

की मौतें 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए कहा गया है, जिन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही एनएमआर को 12 प्रति 1000 नवजात एवं 5 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु की दर को 25 प्रति 1000 पर लाने का लक्ष्य है। भारत में शिशु मृत्यु दर 32 (ग्रामीण क्षेत्र में 36 और शहरों में 23) है, जो विकसित देशों की दरों से अधिक है।

18. जीवनसाथी द्वारा हिंसा 5 राज्यों - सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम एवं कर्नाटक - में बढ़ गई। कर्नाटक में 2015 से 2020 के बीच ऐसी घटनाएं 20.6 प्रतिशत से बढ़कर 44.4 प्रतिशत पर पहुंच गईं।
19. अधिकतर राज्यों में सकल प्रजनन दर घट गई - सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से 18 में यह दर 2.1 के रीप्लेसमेंट लेवल (एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आबादी समान रखने के लिए आवश्यक प्रजनन की मात्रा) के भीतर रही; केवल मणिपुर (2.2), मेघालय (2.9), बिहार (3.2) और उत्तर प्रदेश (2.9) में सकल प्रजनन दर रीप्लेसमेंट लेवल से अधिक थी। फिर भी भारत में औसत सकल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है।
20. मेघालय, नगालैंड और असम के अलावा सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के दो-तिहाई से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है।
21. 19 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं और 14 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 90 प्रतिशत महिलाओं का प्रसव संस्थाओं में हुआ। दुर्भाग्य से निजी अस्पतालों में दो-तिहाई प्रसव सी-सेक्शन (ऑपरेशन) के जरिये हुए, जबकि सरकारी अस्पतालों में केवल 30 प्रतिशत प्रसव ऐसे हुए। चिकित्सा नियमों के अनुसार सी-सेक्शन के जरिये केवल 15 प्रतिशत प्रसव होने चाहिए। सी-सेक्शन का औसत दर्शाता है कि निजी अस्पतालों में व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है, हालांकि कुछ महिलाएं कम पीड़ादायी होने के कारण भी इसे पसंद करती हैं।

आर्थिक विकास कभीकभार स्त्री-पुरुष समानता लाता है मगर अक्सर लैंगिक समानता सशक्तीकरण (विशेषकर फ़ैसले लेने में) से आती है, इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। किंतु नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्री एस्थर डुफलो ठीक ही कहती हैं कि समानता के लिए सतत नीतिगत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसलिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार के ज़रिये सर्वांगीण सशक्तीकरण के विभिन्न आयात तालिका 1 में देखे जा सकते हैं।

किसी देश के लोकतंत्र की प्रगति एवं गुणवत्ता का स्तर महिलाओं के वर्तमान स्तर से पता लगाया जा सकता है क्योंकि संपत्ति पर समान अधिकार एवं प्रतिभागिता भरे प्रशासन में स्त्रियों के साथ न्याय पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का बिल्कुल सही निर्णय लिया है - इससे आरंभ के कम से कम छह महीनों तक शिशु को स्तनपान सुनिश्चित होगा और इस दौरान वेतन मिलने से पोषक भोजन भी सुनिश्चित होगा। लोकतंत्र संपूर्ण जीवन शैली है, जो लिंग समेत सभी क्षेत्रों में विविधता एवं बहुलवाद सुनिश्चित करती है। दुनिया भर में 'मी टू' आंदोलन और महिलाओं के साथ अपराध करने वाली कई सार्वजनिक हस्तियां बेनक़ाब हुईं। पोस्ट फेमिनिस्ट (जो मानते हैं कि नारीवाद के अधिकतर लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं) सही कहते हैं कि महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, इसलिए हम सभी उन्हें वास्तविक विकास के साथ जीवन के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में सशक्त बनाएं। ■